उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा अनुभाग-9
संख्या-5817/5-9-99-6(174)/94
लखनऊ: दिनांक: 09 दिसम्बर, 1999.

अधिसूचना

भारत सरकार द्वारा पारित प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17(2) एवं 17(5) के अन्तर्गत तथा उक्त अधिनियम के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित एवं दिनांक (जनवरी, 1996 से प्रवृत्त नियमों के क्रम में उ०प्र० सरकार द्वारा "समुचित प्राधिकारी" (एप्रोप्रियेट अथारिटी) एवं "सलाहकार समिति" (एडवाइजरी कमेटी) का गठन तथा उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों के संबंध में शासकीय अधिसूचना संख्या-जी. 47/5-11-96-6(174)/94, दिनांक 30 जनवरी, 1996 एवं अधिसूचना संख्या-2865/5-11-97-6(174)/94 दिनांक 24 सितम्बर, 1997 द्वारा निर्गत की गई थी।

2- इस संबंध में उक्त संदर्भित अधिसूचनाओं में की गयी व्यवस्थाओं का अतिक्रमण करते हुए शासन द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिगत "समुचित प्राधिकारी" (एप्रोप्रियेट अथारिटी) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। "समुचित प्राधिकारियों" को सहायता एवं परामर्श हेतु प्रत्येक जनपद में "सलाहकार समिति" (एडवाइजरी कमेटी) गठित होगी और समुचित प्राधिकारी, सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष नामित करेंगे। सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा, जो पूर्ववत् है:-

(1)	जनपद के महिला अस्पताल की प्रमुख/मुख्य/वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षिका।	- सदस्य -
(2)	जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ/पैथालाजिस्ट	- सदस्य -
(3)	जनपद के निकटतम मेडिकल कालेज के जेनेटिस्ट/रेडियोलाजिस्ट।	- सदस्य -
(4)	जिला शासकीय अधिवक्ता।	- सदस्य -
(5)	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।	- सदस्य -
(6)	जनपद के तीन सामाजिक कार्यकर्ता (जिसमें कम से कम दो महिला संगठन से संबंधित हों। इनका चयन जिलाधिकारी की संस्तुति पर एप्रोप्रियेट अथारिटी द्वारा किया जायेगा।)	- सदस्य -

उपर्युक्तानुसार नामित "समुचित प्राधिकारियों" द्वारा "सलाहकार

समितियों" का गठन सुनिश्चित कराते हुए समय-समय पर बैठकें आहूत की जायेंगी तथा जनपद की विभिन्न संस्थाओं जैसे जैनेटिक परामर्श केन्द्रों/प्रयोगशालाओं/क्लीनिक्स का पंजीकरण, निरस्तीकरण/निलम्बन, शिकायतों का निराकरण तथा तत्संबंधी सलाह अथवा निर्देश देने का कार्य किया जायेगा।

यो०के०दीवान,
प्रमुख सचिव,

संख्या- 5817 (1)/5-9-99-6(74)/94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सचिव, परिवार कल्याण, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना से महामहिम श्री राज्यपाल को अवगत कराने का कष्ट करें।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, को इस अनुरोध सहित कि वे कृपया इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार/प्रसार कराने का कष्ट करें।
(6) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/उत्तरांचल।
(7) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
(8) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ०प्र०।
(9) प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
(10) मुख्य सचिव के निजी सचिव को मा० मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
(11) चिकित्सा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा०जी०डी०माहेश्वरी)
विशेष सचिव।